पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 03, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–52

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	971–1011	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	873–874	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	703–724	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 315/XX-3/2022–2(4)/2013(पार्ट II)–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (I) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(II) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–16 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ख) बुलावा पत्र	(ख) बुलावा पत्र
निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक	निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जिलावार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल

मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाप–जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क), महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(ख)(1) के अनुसार होंगे।

आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाप जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क) महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क)(1) के अनुसार होंगे।

परिशिष्ट 2(क) का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(क) के क्रम संख्या–1 में दिये उपबंध के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 (विद्यमान उपबंध)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध)
1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–	1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–
ऊँचाई	ऊँचाई
(1)सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 168 सेंटीमीटर	(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 165 सेंटीमीटर
(2) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 160 सेंटीमीटर	(2) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 160 सेंटीमीटर
(3) अनुसूचित जनजाति हेतु– 157.5 सेंटीमीटर	(3) अनुसूचित जनजाति हेतु– 157.5 सेंटीमीटर
सीने की माप	सीने की माप

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	81.3 सेमी0	86.3 सेमी0

टिप्पणी:– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव आवश्यक है।

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	81.3 सेमी0	86.3 सेमी0

टिप्पणी:– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

परिशिष्ट 3(क) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–3(क) के क्रम संख्या–1 में दिये उपबंध के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात,

स्तम्भ–1 (विद्यमान उपबंध)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध)
1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–	1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–
<u>ऊँचाई</u>	<u>ऊँचाई</u>
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 167.7 सेंटीमीटर	1) सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 167.7 सेंटीमीटर
(2) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए– 160.0 सेंटीमीटर	(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए– 160.0 सेंटीमीटर
(3) पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए– 162.6 सेंटीमीटर	(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए– 162.6 सेंटीमीटर
<u>सीने की माप</u>	<u>सीने की नाप</u>

सामान्य व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये 78.8 सेमी0	फुलाने पर 83.8 सेमी0
अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0

टिप्पणी:– न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	बिना फुलाये 78.8 सेमी0	फुलाने पर 83.8 सेमी0
अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0

टिप्पणी:– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

परिशिष्ट 2(क)1 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(क)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1 (विद्यमान परिशिष्ट)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)
परिशिष्ट–2(क)(1){नियम16(ख) देखे} महिला अग्निशामक (फायरमैन) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख	परिशिष्ट–2(क)(1) {नियम 16(ख) देखे} महिला अग्निशामक (फायर वुमेन) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–	महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–
ऊँचाई	ऊँचाई
(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग–152 सेंटीमीटर	(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति– 152 सेंटीमीटर
(2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर	(2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर
(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर	(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर
वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।	वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।
परिशिष्ट 3(क)1 का संशोधन 6.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–3(क)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–
स्तम्भ–1 (विद्यमान परिशिष्ट)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)
परिशिष्ट–3(क)(1){नियम16(ख) देखे}	परिशिष्ट–3(क)(1) {नियम 16(ख) देखे}
महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख	महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख
2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–	महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:–
ऊँचाई	ऊँचाई
(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग– 152 सेंटीमीटर	(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति हेतु– 152 सेंटीमीटर
(2)अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर	(2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर
(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर	(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर
टिप्पणी– वजन न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।	टिप्पणी– वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।
परिशिष्ट 2(ख)1 का संशोधन 7.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(ख)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1

(विद्यमान परिशिष्ट)

परिशिष्ट–2(ख)(1) {नियम 16(ग) देखे} महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

2– महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20 अंक)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक–20 अंक)	8 फिट	10
		9 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
		13 फिट	20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
		11 सेकेण्ड	20
4	शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णांक 20)	29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग (पूर्णांक 20)	55 बार 01 मिनट	10
		60 बार 01 मिनट	12
		65 बार 01 मिनट	14
		70 बार 01 मिनट	16
		75 बार 01 मिनट	18
		80 बार 01 मिनट	20

स्तम्भ–2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)

परिशिष्ट–2(ख)(1) {नियम 16(ग) देखे} महिला अग्निशामक (फायर वुमेन) की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20 अंक)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक–20 अंक)	8 फिट	10
		9 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
		13 फिट	20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
		11 सेकेण्ड	20
4	शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णांक 20)	29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग (पूर्णांक 20)	55 बार 01 मिनट	10
		60 बार 01 मिनट	12
		65 बार 01 मिनट	14
		70 बार 01 मिनट	16
		75 बार 01 मिनट	18
		80 बार 01 मिनट	20

शारीरिक मानक परीक्षा में अर्ह पाई गई महिला अग्निशामक अभ्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक–100) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेन्ट में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में महिला

अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रकिया से पृथक कर दिया जायेगा।

(1) महिला अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नही होगी जिससे परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो।

(2) शारीरिक दक्षता परीक्षण के परिणाम उसी दिन सूचना पटट् पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(3) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 315/XX-3/2022-2(4)2013(part-II)**, dated November 28, 2022 for general information.

NOTIFICATION

November 28, 2022

No. 315/XX-3/2022-2(4)2013(part-II)--In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of "Constitution of India" Governor is please to make the following rules with objective to further amend the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers/Employees Service (Amendment) Rules, 2022 :--

The Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 16

2. In the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service Rules, 2016, (here in after referred as principal Rules) for the existing rule 16(b) as set out in column-1 below the rule as set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
(b) Call letter: All the forms received in commission till stipulated date shall be examined. After examination the district wise list of such candidates whose application forms proper, shall be provided to the police headquarter.The police headquarters shall made available the list to concerned centre incharge of the district centre authorised for recruitment. The centre incharge of the concerned district shall issue admit card for physical standard test, physical efficiency test to the candidates. The date with time, examination code/ name address and examination centre for physical efficiency test. Physical standard test shall be clearly mentioned in the admit cards. Physical standard test shall be according for to male fireman in (Appendix 2(A)and appendix 2(B)(i) appendix 3(A) and appendix 3(B)(i) for female fireman and male second officer.	**(b) Call letter:** All the forms received in commission till stipulated date shall be examined. After examination the district wise list of such candidates whose application forms shall find proper, shall be provided to the police headquarter. The police headquarters shall made available the list to concerned centre incharge of the district centre authorised for recruitment. The centre incharge of the concerned district shall issue admit card for physical standard test, physical efficiency test to the candidates. The date with time, examination code/ name address and examination centre for physical efficiency test. Physical standard test shall be clearly mentioned in the admit cards. Physical standard test shall be according for to male fireman in Appendix 2(A), female fireman in appendix 2(A)(1) and male Fire station second officer in appendix 3(A) and appendix 3(A)(1) for female Fire station second officer .

Amendment of Appendix 2(A)

3. In the principal rules for the provision given in serial number-1 of the existing Appendix-2(A) set out in column-1 below, the provision set out in column-2, shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Provision	Column-2 Provision hereby substituted
1- The minimum physical standard for candidates as follows-	1- The minimum physical standard for candidates as follows-
Height: (1) for General/ other backward classes and Scheduled Castes – 168 Cm (2) For hill area candidates- 160 Cm (3) Scheduled tribes- 157.5 Cm	**Height:** (1) for General/ other backward classes and Scheduled Castes– 165 Cm (2) For hill area candidates- 160 Cm (3) Scheduled tribes- 157.5 Cm
Chest Measurement: (1) For All categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm. Note: A minimum of 5 centimeter expansion is essential.	**Chest Measurement:** (1) For All categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm. Note: A minimum of 5 centimeter expansion in chest is essential.

Amendment of Appendix 3(A)

4. In the principal rules for the provisions given in serial number-1 of the existing Appendix-3(A) set out in column-1 below, the provision set out in column-2, shall be substituted, namely;

Column-1 Existing Provisions	Column-2 Provisions hereby substituted
1- The minimum physical standard for candidates as follows-	1- The minimum physical standard for candidates as follows-

Height

(1) General/ other backward classes and Scheduled Castes – 167.7 cm

(2) Scheduled Tribes- 160 cm

(3) For hill area candidates- 162.6 cm

Chest Measurement:

for candidate of General and others categories	before expansion	on expansion
	78.8 cm	83.8 cm
for candidates of Scheduled Tribes and hilly area	76.5 cm	81.5 cm

Note: A minimum of 5 centimeter expansion is essential.

Height

((1) General/ other backward classes and Scheduled Castes – 167.7 cm

(2) Scheduled Tribes- 160 cm

(3) For hill area candidates- 162.6 cm

Chest Measurement:

for candidate of General / other backward classes and Scheduled Castes	before expansion	on expansion
	78.8 cm	83.8 cm
for candidates of Scheduled Tribes and hilly area	76.5 cm	81.5 cm

Note: A minimum of 5 centimeter expansion in chest is essential.

Amendment of Appendix 2(A) (1)

5. In the principal rules for the existing Appendix-2(A) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

Column-1

Existing Appendix

Appendix 2(A)(1): rule 16(b)

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fireman (fireman);

The minimum physical standard for female is as follows-

Height

(1) General/ other backward classes- 152 cm

Column-2

Appendix hereby substituted

Appendix 2(A)(1): rule 16(b)

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female fireman (fire woman);

The minimum physical standard for female is as follows-

Height

(1) General/ other backward classes and Scheduled Castes - 152 cm

	(2) Scheduled Tribes- 147 cm	(2) Scheduled Tribes- 147 cm
	(3) For hill area candidates- 147 cm	(3) For hill area candidates- 147 cm
	Weight: Minimum 45 in essential.	**Weight:** Minimum 45 in essential.
Amendment of Appendix 3(A) (1)	6.	In the principal rules for the existing Appendix-3(A) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

Column-1 **Existing Appendix**	**Column-2** **Appendix hereby substituted**
Appendix 3A (1) see rule 16 (b):	**Appendix 3A (1) see rule 16 (b):**
The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fire Station Second Officer- The minimum physical standard for female is as follows-	The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fire Station Second Officer- The minimum physical standard for female is as follows-
Height	**Height**
(1) General/ other backward classes -152 cm	(1) General/ other backward classes and Scheduled Castes -152 cm
(2) Scheduled Tribes-147 cm	(2) Scheduled Tribes-147 cm
(3) For hill area candidates- 147 cm	(3) For hill area candidates- 147 cm
Weight: Minimum 45 in essential.	**Weight:** Minimum 45 in essential.

Amendment of Appendix 2(B) (1)	7.	In the principal rules for the existing Appendix-2(B) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

Column-1
Existing Appendix

Appendix 2(B)(1) rule 16(c):

The Physical efficiency test for direct recruitment to the post of Fireman (Female):

The candidates declared successful in physical standard test shall be required to take part in physical efficiency test.

The physical efficiency test for fireman (female) and fire station second officer (female) shall be conducted as mentioned below:-

2. The minimum physical efficiency test for female candidates shall be as follows-

No.	name of the event	distance/ time	marks
1	Cricket ball throw (total marks 20)	16 meter	10
		20 meter	12
		24 meter	14
		28 meter	16
		32 meter	20
2	Long jump (total mark 20)	8 feet	10
		9 feet	12
		10 feet	14
		11 feet	16
		12 feet	18
		13 feet	20
3	Race 50 meter (total marks 20)	16 second	10
		15 second	12
		14 second	14
		13 second	16
		12 second	18
		11 second	20

Column-2
Appendix hereby substituted

Appendix 2(B)(1) rule 16(c):

The Physical efficiency test for direct recruitment to the post of Fireman (Female):

The candidates declared successful in physical standard test shall be required to take part in physical efficiency test.

The physical efficiency test for fireman (female) and fire station second officer (female) shall be conducted as mentioned below:-

No.	name of the event	distance/ time	marks
1	Cricket ball throw (total marks 20)	16 meter	10
		20 meter	12
		24 meter	14
		28 meter	16
		32 meter	20
2	Long jump (total mark 20)	8 feet	10
		9 feet	12
		10 feet	14
		11 feet	16
		12 feet	18
		13 feet	20
3	Race 50 meter (total marks 20)	16 second	10
		15 second	12
		14 second	14
		13 second	16
		12 second	18
		11 second	20

4	Shuttle Race (25*4 meter) (marks 20)	29 second	10
		28 second	14
		27 second	18
		26 second	20
5	skipping (total marks 20)	55 time 01 minutes	10
		60 time 01 minutes	12
		65 time 01 minutes	14
		70 time 01 minutes	16
		75 time 01 minutes	18
		80 time 01 minutes	20

4	Shuttle Race (25*4 meter) (marks 20)	29 second	10
		28 second	14
		27 second	18
		26 second	20
5	skipping (total marks 20)	55 time 01 minutes	10
		60 time 01 minutes	12
		65 time 01 minutes	14
		70 time 01 minutes	16
		75 time 01 minutes	18
		80 time 01 minutes	20

The female fireman candidates found qualified in the physical standard test shall be required to obtain a minimum of 50 marks in the physical efficiency test (total-100) as per the following details and in case of getting less than 50 percent marks in any event, the female candidate shall be given the same level But shall be excluded from the selection process.

(1) The number of candidates shall not be more than 100 in one day for each such team so as not to affect the quality and process of the tests.

(2) The result of physical efficiency test shall be made available to the candidate on the same day. The results of candidates shall be displayed on the Notice Board.

(3) Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical efficiency test examination.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1008/XIX-1/2022/203 खाद्य/2011–जिला पूर्ति अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10) के रिक्त पद हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार की चयन संस्तुति के आधार पर श्री के0एस0 कोहली क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को एतद्द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10) के पद पर पदोन्नत करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान स्थान पर ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कोहली को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–श्री कोहली को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पद पर तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक सम्बन्धी सूचना शासन/आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4–श्री कोहली के तैनाती आदेश पृथक से किये जायेगे।

5–उक्त पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होने की स्थिति में, तद्परिणाम से इस आदेश को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2022 ई0

ई0 पत्रावली संख्या–20742–एतद्द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों हेतु "सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति–2022" (हिन्दी/अंग्रेजी) अधिसूचित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सौंग बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु नीति का आलेख

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उल्लेखित प्रावधानानुसार)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

1. प्रस्तावना

प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना देहरादून के भविष्य की पेयजल आपूर्ति हेतु अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजना के निर्माण से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 150 एम0एल0डी0 (1.75 क्यूमेक) पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। जिससे वर्ष 2051 तक लगभग 10 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

वर्तमान में देहरादून शहर की पेयजल व्यवस्था लगभग पूर्ण रूप से नलकूपों पर निर्भर है, भविष्य में पेयजल व्यवस्था हेतु अन्य सतही जल स्त्रोतों (Surface water resources) का उपभोग किया जाना आवश्यक होगा, जिससे जल आपूर्ति की संपोषणीय (sustainable) योंजना तैयार की जा सके एवं सतही जल स्त्रोतों एवं भूजल स्त्रोतों मे समन्वय बना रहे। उक्त परियोजना के निर्माण से भविष्य में नलकूपों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आने के कारण नलकूपों के निर्माण एवं उन पर किये जाने वाले भारी विद्युत व्यय संचालन तथा रखरखाव व्यय में भी भारी कमी आयेगी। निर्मित जलाशय एवं भूजल दोहन में कमी आने के कारण भूजल स्तर में वृद्वि होगी।

सौंग बॉध पेयजल परियोजना सौंग नदी पर प्रस्तावित है और यह देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल जिले की सीमा पर स्थित ग्राम सौंदणा (देशान्तर 78°11'30"ई0 और अक्षांस 30°18'08" एन0) में, देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस परियोजना के अन्तर्गत सौंग नदी पर 130.60 मी0 (From deepest foundation level) ऊँचाई के बांध का निर्माण प्रस्तावित है।

जलाशय निर्माण के फलस्वरूप डूब क्षेत्र से 03 ग्राम क्रमशः प्लेड (देहरादून), रांगड़गॉव (टिहरी गढ़वाल) एवं घुडसालगांव (टिहरी गढ़वाल) प्रभावित होंगे तथा बांध के खनन क्षेत्र, बैचिंग प्लांट एवं मिक्सिंग प्लांट के लिये ली जाने वाली भूमि से 01 ग्राम सौंधना (टिहरी गढ़वाल) प्रभावित होंगा। इस प्रकार परियोजना के निर्माण से कुल 04 ग्राम प्रभावित होंगे।

यह पुनर्वास नीति इस बांध के निर्माण से प्रभावित होने वाली जनसंख्या पर लागू होगी तथा प्रभावित ग्रामों की जनसंख्या को विस्थापित किये जाने हेतु **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) के प्रावधानानुसार यह नीति बनायी जा रही है।**

2. पुनर्वास नीति के उद्देश्य

2.1 सौंग बांध परियोजना के प्रभावितों के पुर्नवास नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

(क) जहाँ तक सम्भव हो, न्यूनतम विस्थापन करने, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना।

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्त पुर्नवास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(ग) समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(घ) प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना।

(ड़) पुर्नवास कार्यों को विकास आयोजनों तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना।

(च) जहां पर विस्थापन, भूमि अर्जन के कारण होता है, वहां पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।

3. परिभाषाऐं–

इस नीति में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है।

(ख) **"प्रशासक"** राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट या अपर जिलाधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ग) **"प्रभावित क्षेत्र"**से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए;

(घ) **"प्रभावित कुटुम्ब"** के अन्तर्गत,–

(i) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किन्तु ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य या ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारम्परिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है;

(iv) ऐसा कोई कुटुम्ब है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अन्तर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी है और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुयी है;

(v) ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी योजनाओं में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है।

(vi) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है;

(ङ) **"कृषि भूमि"** से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है,–

(i) कृषि या उद्यान कृषि;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, मत्स्य–पालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी–बूटियों।

(iii) फसलों, वृक्षों, घास या उद्यान उत्पाद; और

(iv) पशुओं के चारागाह के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है।

(च) **"समुचित सरकार"** से,–

किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार;

परन्तु किसी जिले के जिलाधिकारी को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के सम्बन्ध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(छ) **"कलैक्टर"** से राजस्व जिले का कलैक्टर (जिलाधिकारी) अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलैक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहीत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ज) **"आयुक्त"** राज्य सरकार प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जायेगा।

(झ) **"अर्जन की लागत"** के अन्तर्गत

(i) प्रतिकर की रकम जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर संदेय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुम्बों को संदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदत्त किया जाने वाला डेमरेज;

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुम्बों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत;

(vi) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख–सुविधाओं के विकास की लागत;

(v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा–अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत;

(vi) इसके अन्तर्गत–

(क) भूमि जिसके अन्तर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो;

(ख) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च;

(vii) ''सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन'' करने का खर्च;

(ञ) **''विस्थापित कुटुम्ब''** से ऐसा कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है;

(ट) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''कार्य करने के लिए हकदार'' के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जायेंगे, अर्थात्:–

(i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

(ii) अवयस्कों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबन्धक, उसी सीमा तक, जिस तक अवयस्क, पागल या अन्य विकृतचित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होते:

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32 के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी मामले में वादमित्र द्वारा या संरक्षक द्वारा किसी जिलाधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(ठ) **"कुटुम्ब"** के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहनें हैं:

परन्तु विधवाओं और विवाह–विंच्छिन्न स्त्रियों और कुटुम्बों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक कुटुम्ब माना जायेगा;

स्पष्टीकरण– किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रितों हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक कुटुम्ब माना जायेगा;

ऐसा परिवार जो पंचायत रजिस्टर भाग–2 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया हो;

(ड) **"भू–धृति"** से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अधिभारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है;

(ढ) **"भूमि"** के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले लाभ और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती है;

(ण) **"भूमिहीन"**से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे,–

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में, ऐसा भूमिहीन जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(त) **"भू–स्वामी"** के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,–

(i) जिसका नाम सम्बन्धित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है; या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिये गये है; या

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अन्तर्गत समनुदेशित भूमि भी है, वनाधिकार दिये जाने का हकदार है, या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है।

(थ) **"बाजार मूल्य"** से अधिनियम की धारा 26 के अनुसार अवधारित भूमि का मूल्य अभिप्रेत है;

(द) **"अधिसूचना"** से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ध) **"पट्टा"** का वही अर्थ होगा जो उसका सुसंगत केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गये नियमों का विनियमों के अधीन दिया गया है;

(न) **"हितबद्ध व्यक्ति"** से अभिप्रेत है–

(i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन मद्धे दिये जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं;

(ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारम्परिक वन निवासी, जिन्होंने "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के अधीन किन्हीं भी वन्य अधिकारों को खो दिया है;

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृति अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(प) **"पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र"** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुटुम्बों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है;

(फ) **"छोटा कृषक (लघु कृषक)"** से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है, जो दो एकड़ तक की असिंचित भूमि धारण करता है या एक एकड़ तक की सिंचित भूमि धारण करता है, किन्तु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है;

(ब) **"सीमान्त कृषक"** से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जिसके पास एक एकड़ तक की असिंचित भू–धृति है या आधे एकड़ तक की सिंचित भू–धृति है;

(भ) **"पात्रता"** पुनर्वास लाभों के लिए प्रभावित परिवारों की पात्रता अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(1) की अधिसूचना की तिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी;

(म) **"बेनाप धारक"** से वह परिवार अभिप्रेत है जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तिथि के पूर्ववर्ती 3 वर्ष अथवा उससे पूर्व से बेनाप भूमिधर काबिज है तथा जिला प्रशासन से सत्यापित हो;

(य) **"अपेक्षक निकाय"** से ऐसी कंपनी,निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसके अंतर्गत ऐसी समुचित सरकार भी है यदि भूमि का, ऐसी सरकार के अपने स्वयं के उपयोग के लिए या ऐसी भूमि का, लोक प्रयोजन के लिए, बाद में, यथास्थिति, किसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पट्टे, अनुज्ञप्ति के अधीन या भूमि अंतरण करने के किसी अन्य ढ़ग के माध्यम से अंतरण किए जाने के लिए, अर्जन किया जाता है।

(यक) **"विकसित कृषि/आवासीय भूखण्ड"** से ऐसे भूखण्ड अभिप्रेत है जो समतलीकरण व डोलबन्दी कर कृषि/आवास हेतु उपयुक्त हो। जिसमें सम्पर्क मार्ग से आवगमन सम्भव हो एवं सिंचाई सुविधा/पेयजल सुविधा की उपलब्धता एवं क्षेत्र में बिजली व्यवस्था इत्यादि हो।

(यख) **"परियोजना"** से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति की संख्या को विचार में लिए बिना, अर्जन किया जा रहा है।

(यग) **"लोक प्रयोजन"** से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कियाक़लाप अभिप्रेत हैं।

नोटः–उक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त अन्य परिभाषाओं को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार लिया जायेगा।

4. <u>कट ऑफ डेट</u>– अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन जारी अधिसूचना की तिथि को ही कट ऑफ डेट माना जाएगा।

5. <u>भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण</u>–

भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अधिनियम की धारा 26 से 30 के प्राविधानानुसार किया जायेगा।

6. <u>डूब क्षेत्र का आंकलन</u>–

प्रभावित डूब क्षेत्र का आंकलन जलाशय के एफ0आर0एल0 980.0 मीटर से 03 मीटर ऊपर तक अर्थात् 983.0 मी0 आर0एल0 तक आने वाली भूमि एवं भवनों का विस्थापन किया जायेगा।

7. <u>प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन लाभ–</u>

दिनांक 08.09.2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक एवं दिनांक 05.11.2020 को आयुक्त, गढ़वाल मण्डल में सम्पन्न समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार :–

7.1 <u>पूर्ण प्रभावित–</u>

ऐसे प्रभावित खातेदार जिनकी 50% या 50% से अधिक भूमि परियोजना से प्रभावित होगी/परियोजना हेतु अधिग्रहित की जाएगी, पूर्ण प्रभावित की श्रेणी में आयेंगे।

7.2 <u>आंशिक प्रभावित–</u>

ऐसे प्रभावित खातेदार जिनकी 50% से कम भूमि परियोजना से प्रभावित होगी/परियोजना हेतु अधिग्रहित की जाएगी, आंशिक प्रभावित की श्रेणी में आयेंगे।

7.3 <u>भूमि अधिग्रहण का प्रतिकर–</u>

(i) पूर्ण प्रभावित खातेधारकों को अधिग्रहित भूमि के ऐवज में आधा (0.5) एकड़ विकसित कृषि भूखण्ड एवं 200 वर्ग मी0 विकसित आवासीय भूखण्ड का

आंवटन किया जाएगा। यदि कोई ऐसा परिवार भूमि नहीं लेना चाहता तो पूर्ण प्रभावित को अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि का नकद प्रतिकर दिया जायेगा।

ऐसे पूर्ण प्रभावित भूस्वामी जिनकी आधा (0.5) एकड़ से अधिक भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित होगी, ऐसे भूस्वामियों को आधा (0.5) एकड़ की सीमा से अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर पुनर्वास नीति के बिन्दु सं0 7.3(ii)(क) के अनुसार दिया जायेगा।
ऐसे पूर्ण प्रभावित भूस्वामी जिनकी अधिग्रहित भूमि आधा (0.5) एकड़ की सीमा से कम है, उन्हें भी आधा (0.5) एकड़ भूमि आवंटित की जायेगी एवं उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ii) आंशिक प्रभावित खातेधारकों को अधिग्रहित भूमि के ऐवज में प्रतिकर निम्नानुसार देय होगा–

(क) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर के भुगतान के प्रयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से अधिग्रहित भूमि की लागत का अवधारण जिलाधिकारी द्वारा विनिश्चित दरों के आधार पर किया जायेगा। भूमि की दरें बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिकतम होगा, से गणना की जायेगी। अधिनियम की धारा 26 की उपधारा(1) के मानदण्डों के अनुसार भूमि एवं भूमि से जुडी ग्रामीण क्षेत्रों की आस्तियों हेतु बाजार मूल्य का गुणक कारक दो (2.00) होगा। भूमि का अन्तिम अधिनिर्णय, बाजार मूल्य को कारक दो (2.00) से गुणा कर प्राप्त गुणनफल एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण के योग के बराबर होगा।

<u>भूमि–प्रतिकर की दर</u>

(अ) भूमि की दर	=	बाजार मूल्य
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वे कारक जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	=	02
(स) तोषण (सोलेशियम)	=	क्र0सं0 (अ) के सामने वार्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत–प्रतिशत के समतुल्य, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्र0सं0 (ब) के सामने विर्निष्ट कारक से गुणित किया जायेगा
	=	बाजार मूल्य X 02
अतः भूमि प्रतिकर की दर	=	(अ X ब) + स
	=	**बाजार मूल्य** X 04

(ख) अवयस्क खातेदार होने के दशा में खतौनी के कॉलम 2 तथा 7 से 12 में अवयस्क खाताधारकों की भूमि के मुआवजा की धनराशि अवयस्क खातेदार को एफ०डी० के रूप में दी जायेगी, जिसे वह वयस्क होने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(ग) भूमि प्रतिकर की धनराशि का 10 प्रतिशत भुगतान भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् देय होगा।

(iii) सौंग बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र में निवासरत गैर भूमिधारक परिवार तथा भौतिक रूप से विस्थापित अथवा पूर्णतः प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हो रहे हैं, से सम्बन्धित किसी भी लिंग का वयस्क व्यक्ति जिसे अधिनियम में पृथक प्रभावित परिवार परिभाषित किया गया है, को निम्न लाभ देय होंगे:–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी0एम0ए0वाई0) विशिष्टियों के अनुरूप 50 वर्गमीटर आकार के भूखण्ड पर निर्मित आवास या प्रभावित परिवार द्वारा भूखण्ड और/या आवास का विकल्प नही लिये जाने की दशा में उक्त के समतुल्य नकद प्रतिकर का विकल्प होगा। प्रतिकर भुगतान के समय उपलब्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक/अद्यतन सर्किल दरें लागू होगी।
- पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा देय होगी।
- प्रभावित कुटुम्बों को आंवटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

7.4 स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस *अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार)*

i. प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

ii. प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिये भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

iii. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

7.5 गृह संरचनाओं (आवास, दुकानो एवं पशुबाडा आदि) के लिये प्रतिपूर्ति
(अधिनियम की पहली अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 व 5 के अनुसार)

अर्जन किये जाने वाले गृह संरचनाओं (आवास, दुकानो एवं पशुबाड़ा आदि) हेतु प्रतिपूर्ति की राशि का आंकलन अधिग्रहण के समय लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा इस मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) राशि के रूप में दी जायेगी।

7.6 पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति *(अधिनियम की पहली अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 व 5 के अनुसार)*

पात्र भूस्वामी परिवारों को पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य प्राधिकारियों/बागवानी विभाग/वन विभाग द्वारा दिये गये मूल्यांकन के अनुसार किया जायेगा तथा इस मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) राशि के रूप में दी जायेगी।

7.7 <u>वार्षिकी या नियोजन का विकल्प</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)*

प्रति प्रभावित कुटुम्ब को 05 लाख रूपए का एक मुश्त संदाय देय होगा।

7.8 <u>विस्थापित कुटुंबो के लिए 01 वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार)*

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रूपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जायेगा।

इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किये गये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग 50 हजार रूपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेगें।

7.9 <u>विस्थापित कुटुंबो के लिए परिवहन खर्च</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार)*

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जो विस्थापित हुआ है, कुटुम्ब, भवन सामग्री घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में 50 हजार रूपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।

7.10 <u>पशुबाडा/छोटी दुकान खर्च</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार)*

पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिये, एक मुश्त ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो न्यूनतम 25 हजार रूपए की सीमा के अधीन विनिर्दिष्ट की जायें।

7.11 <u>कारीगरो, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक मुश्त अनुदान</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार)*

किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्था ढांचा है और जिसे भूमि के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक मुश्त वित्तीय सहायता पायेगा, जो न्यूनतम 25 हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुये विनिर्दिष्ट की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छोटे दुकानदार जिनकी दुकान गैर सरकारी/सरकारी भूमि पर निर्मित है उन्हे समन्वय समिति द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देय होगा।

7.12 <u>एक मुश्त पुनर्व्यवस्थापन भत्ता</u> *(अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार)*

प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल रू0 50,000/–का एक मुश्त 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जायेगा।

7.13 बेनाप भूमि धारक/कब्जाधारक अथवा सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं के लिये प्रतिपूर्ति–

(i) बेनाप भूमि पर कार्बिज कब्जेधारकों का सत्यापन धारा 11(1) की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की तिथि को आधार (अधिनियम की धारा 3 ग में प्रभावित कुटुम्ब की परिभाषा के अनुसार) मानते हुए किया जायेगा।

(ii) बेनाप भूमि धारक/कब्जाधारक अथवा सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं के लिए निजी आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्तियों की हानि वाले बेनाप भूमि धारक को संरचना का लोक निर्माण विभाग (लो0नि0वि0) के कुर्सी क्षेत्रफल की दरों के अनुसार आंकलित मूल्य देय होगा।

(iii) प्रभावित हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार होगा।

7.14 अन्य लाभ–

यथासंभव परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को परियोजना निर्माण उपरान्त संचालित होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में प्राथमिकता दी जायेगी।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध –

1. भूमि का कोई भी अर्जन, यथासंभव, अनुसूचित क्षेत्रों में नही किया जाएगा।

2. यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अंतिम अवलम्ब के रूप में किया जाएगा ।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन या अन्य संकार्मण की दशा में, भारत का संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति, सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमित ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिनके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जाएगी:

परन्तु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जाएगी। जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नही है या उसका गठन नही किया गया है।

4. किसी अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अंतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुबों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है, एक विकास योजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उनमें भूमि संबंधी उन अधिकारों का, जो शोध्य है किन्तु जिनका परिनिर्धारण नही किया गया हैं, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसंकामित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों

के हकों को बहाल करने संबंधी प्रकिया के ब्यौरे अधिकथित करते हुए, तैयार की जाएगी।

5. विकास योजना में गैरवन्य भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईधन, चारे और गैरकाष्ठ वन्य उपज संसाधनों का विकास करने संबंधी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा, जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

6. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किए जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक–तिहाई रकम का संदाय प्रभावित कुटुबों को प्रारंभ में ही पहली किस्त के रूप में किया जाएगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

7. ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को, जिनमें मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते है, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, सामुदायिक और सामाजिक समूहन के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी।

8. जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्यसंक्रामण अकृत और शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी फायदे मूल जनजातीय भू–स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्व भू–स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

9. प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को, जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त है, सिंचाई या जल–विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएगें।

10. जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कें प्रभावित कुटुंबों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, वहां उन्हें पचास हजार रूपए की एक मुश्त हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे संदत्त किए जाएंगे जिन्हे वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगें।

9. आरक्षण और अन्य फायदे (Reservation and other benefits)

1. वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी उपलब्ध फायदे भी है, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

2. जब कभी अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध प्रभावित कुटुबों को, जो भारत का संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में निंवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किए जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियां और फायदे उन क्षेत्रों में भी, जहां उन्हें पुनर्वासित किया जा है, इस बात पर विचार किए बिना कि पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र उक्त पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र है या नहीं, प्रदान किए जाते रहेंगे।

3. जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है, वहां उनको धनीय राशि में परिमाणित किया जाएगा और ऐसे संबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जाएगा।

10. समन्वय समिति (Co-ordination committee)

उत्तराखण्ड शासन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन तथा पुनर्वास हेतु शासनादेश सं0 1942(1)/II(2)/2020–04(11)/2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के द्वारा समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य प्रभावित ग्रामीणों की पुनर्वास से संबन्धित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए समय–समय पर शासन को अवगत कराना है। जिससे शासन द्वारा सम्बन्धित समस्याओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

11. उच्च स्तरीय समिति के निर्णय अधिकार (Decision Powers of High Power Committee)

पुनर्वास नीति लागू होने के उपरान्त नीति की व्यवहारिक कठिनाइयों या प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित किसी अन्य बिन्दु के सम्बन्ध में निर्णय, जो कि इस पुनर्वास नीति में आच्छादित नही हो रहे है, पर निर्णय लेने का अधिकार शासन द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति (High Power Committee) को होगा।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

Draft Policy for Rehabilitation and Resettlement of Song Dam Drinking Water Project

(As per the provisions laid in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)

Irrigation Department, Uttarakhand

1. Introduction

The proposed Song Dam Drinking Water project is of utmost importance for the future drinking water supply of Dehradun city. The project shall ensure the supply of 150 MLD (1.75 cumecs) drinking water via gravity medium to Dehradun city and its suburban areas. It shall benefit 10 lac population till year 2051.

At present, the drinking water system of Dehradun city relies heavily on tube wells, it is the necessity to exploit other surface water sources in future, so that a sustainable plan of water supply can be prepared and balance can be struck between surface and groundwater sources. Construction of the project will result in a progressive reduction in the number of tube wells required to meet future demand which in turn will reduce the cost of construction, electricity consumption and operation & maintenance of tube wells. Ponding and reduced exploitation of ground water sources will also result in elevated ground water levels.

Song Dam Drinking Water Project is proposed on the river Song (longitude 78°11'30" E and latitude 30°18'08" N) near village Sondhana on the border of Dehradun and Tehri Garhwal district, at a distance of about 25 km from Dehradun city. Project proposes the construction of a 130.60 m (from the deepest foundation level) high.

03 villages namely Paled (Dehradun), Ragadgaon (Tehri Garhwal) & Ghurshalgaon (Tehri Garhwal) shall be affected by the submergence area, and Sondhana (Tehri Garhwal) village shall be acquired for construction of quarries, batching plant and mixing plant. Thus, a total of 04 villages will be affected by the project.

This rehabilitation policy shall apply to the population affected by the project and has been drafted as per the provisions laid in the Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, rehabilitation & Resettlement Act, 2013.

2. Objectives of Rehabilitation Policy

2.1. The objectives of the Rehabilitation Policy for the affected families of the Song Dam project are as follows:-

(a) To promote, as far as possible, alternatives to do minimal displacement, no displacement or least displacement.

(b) To ensure an adequate rehabilitation package with the active participation of the affected persons and to ensure speedy implementation of the rehabilitation process.

(c) To ensure careful and sensitive action concerning the protection and treatment of the rights and remedies of the weaker sections of the society, especially the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(d) To make joint efforts to provide a better standard of living to the affected families.

(e) To integrate rehabilitation work with the development planning and implementation process.

(f) To establish cordial relations between the acquiring body and the affected families through cooperation where displacement is caused by land acquisition.

3. Definitions

In this policy, unless the context otherwise requires-

(a) **"Act"** means The Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(b) **'Administrator'** shall be appointed by the State Government not less than a Joint Magistrate or an Additional District Magistrate to be the Rehabilitation and Resettlement Administrator for that project.

(c) **'affected area'** means such area as may be notified by the appropriate Government for the purposes of land acquisition.

(d) **'affected family'** includes,—

(i) any family whose land or other immovable property has been acquired;

(ii) any family which does not own any land, but any member of such family or members of such agricultural labour, tenant including tenant in any form of enjoyment right, sharecropper or artisan or he/ she who are working in the affected area for three years before the acquisition of the land, whose main source of livelihood has been affected by the acquisition of the land;

(iii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 due to acquisition of land;

(iv) any family whose main source of subsistence, for three years before the acquisition of the land, has been dependent on forests or water bodies and includes forest produce gatherers, hunters, fishermen and boatmen and such subsistence is dependent on the acquisition of land. the cause is affected;

(v) any member of a family to whom land has been entrusted by the State Government or the Central Government under any of its schemes and such land is subject to acquisition.

(vi) any family which has been residing in urban areas for three or more years preceding the acquisition of the land or whose main source of livelihood was the acquisition of such land for three years before the acquisition of the land. is affected by;

(e) **'agricultural land'** means land used for—

(i) agriculture or horticulture;

(ii) the dairy industry, poultry industry, fisheries, sericulture, seed cultivation, livestock breeding or nursery-growing medicinal herbs.

(iii) growing crops, trees, grasses or garden products; and

(iv) land used for grazing cattle.

(f) **'appropriate Government'** means—

concerning the acquisition of land within the territory of a State, the State Government;

Provided that the District Magistrate of a district shall be deemed to be the appropriate Government concerning any

public purpose in that district for an area not exceeding such area as may be notified by the appropriate Government;

(g) **'Collector'** means the Collector (District Magistrate) of a revenue district, and includes any officer specially designated by the appropriate Government to perform the functions of a Collector under this Act;

(h) **'Commissioner'** The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner or Secretary to that Government to be called the Rehabilitation and Resettlement Commissioner for the rehabilitation and resettlement of the affected families.

(i) **'cost of acquisition'** includes—

(i) the amount of compensation, including any enhanced compensation and interest payable thereon by the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority or the tribunal ordered by the Court and any other amount determined by such authority or court as payable to the affected families;

(ii) the demurrage to be paid for damage caused to land and standing crops in the process of acquisition;

(iii) the cost of acquisition of land and building for the settlement of displaced and adversely affected families;

(iv) the cost of development of infrastructure and amenities in resettlement areas;

(v) the cost of rehabilitation and resettlement as determined under the provisions of this Act;

(vi) it includes-

(a) administrative expenses for the acquisition of land, including both the land at the project site and the land outside the project area, not exceeding the such percentage of the cost of compensation as may be specified by the appropriate Government;

(b) the administrative expenses for the rehabilitation and resettlement of the owners of the land and other affected families whose land has been acquired or is proposed to be acquired or other families affected by such acquisition;

(vii) the cost of conducting "social impact assessment studies";

(j) **'displaced family'** means any family which is to be resettled and resettled from the area affected by land acquisition to the resettlement area;

(k) **'entitled to act'**, concerning any person, shall include the following persons, namely:—

(i) a trustee for other persons interested as the beneficiary by reference to any such case, to the extent to which the person interested as beneficiary could have acted if he had not suffered from a disability;

(ii) the guardian of minors and the custodian or manager for the lunatic, to the same extent to which the minor, lunatic or another person of unsound mind himself could have acted if he had not suffered from a disability:

Provided that the provisions of Order 32 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall, in the case of persons interested in the proceedings under this Act, appear before any District Magistrate or authority by the plaintiff or by the guardian, as may be necessary. changes will be applicable;

(l) **'family'** includes any such person, his dependent wife or husband, minor children, minor brothers and minor sisters; Provided that widows and divorced women and women deserted by families shall be treated as separate families;

Explanation- An adult person of either sex, whether or not having a wife or husband or children or dependents, shall be treated as a separate family for this Act;

The such family has been recorded under Panchayat Register Part-II;

(m) **'holding of Land'** means the total amount of land held by any person as owner, occupier or overlord or otherwise;

(n) **'land'** includes profits arising out of land and things attached to the ground or things permanently attached to anything attached to the ground;

(o) **'landless'** means a person or class of persons who,—

(i) to be treated as or specified under any State law for the time being in force; or

(ii) in the case of a landless person not to be specified under sub-section (i), such landless as may be specified by the appropriate Government

(p) **'land owner'** includes any person—

(i) whose name is recorded in the records of the authority concerned as the owner of the land or building or any part thereof; or

(ii) who has been granted lease rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or under any other law for the time being in force; or

(iii) who is entitled under any law of the State to be given forest rights on land including assigned land, or

(iv) declared as such by any order of the Court or the Authority.

(q) **'market value'** means the value of land determined according to section 26 of the, Act;

(r) **'notification'** means a notification published in the Gazette of India or the Gazette of a State, as the case may be, and the expression "to notify" shall be construed accordingly;

(s) **'lease'** shall have the meaning assigned to it under the relevant Central or State Acts or regulations made there under;

(t) **'person interested'** means—

(i) all persons who claim an interest in compensation to be paid on account of the acquisition of land under this Act;

(ii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any forest rights under the "Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006;"

(iii) any person interested in any easement affecting the land;

(iv) persons having tenancy rights under the relevant State laws, including sharecroppers in crops, by whatever name called; and

(v) any person who is likely to be prejudicially affected by his main source of livelihood;

(u) **'resettlement area'** means an area assigned to the affected families, who have been displaced as a result of the acquisition of land, to be resettled by the appropriate Government;

(v) **'small farmer'** means a cultivator who holds unirrigated land up to two acres or irrigated land up to one acre, but holds more than the holding of a marginal farmer;

(w) **'marginal farmer'** means a cultivator who has irrigated land holding up to one acre or irrigated land holding up to half an acre:

(x) **'eligibility'** the eligibility of the affected families for rehabilitation benefits shall be determined on the date of notification of sub section(1) of Section 11 of the Act.

(y) **'benaap holder'** is the family which owns benaap bhumidhar for 3 years on or before the date of notification of the affected area and is verified by the district administration.

(z) **'requiring body'** means a company, body corporate, institution or any other organization or person for which land is to be acquired by the appropriate Government and includes such appropriate Government if the land is owned by such Government; of such land for its use or a public purpose, subsequently to any company, body corporate, institution or any other organization, as the case may be, under the lease, license or through any other mode of transfer of land To be transferred, the acquisition is made.

(za) **'developed agricultural/residential plot'** means such a plot which is suitable for agriculture/housing by levelling and mobilization. In which transportation is possible through contact road and availability of irrigation facility/drinking water facility and electricity system in the area etc.

(zb) **'project'** means any project for which land is being acquired irrespective of the number of persons affected.

(zc) **'public purpose'** means the activities specified under sub-section (1) of section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Note: In addition to the above definitions, other definitions shall be considered as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

4. Cut-off date

(a) The date of notification issued under sub section(1) of Section 11 of the Act, shall be considered the cut-off date.

5. Determination of market value of the land

The market value of the land shall be determined as per the provisions of sections 26 to 30 of the Act.

6. Assessment of submergence area

Land and infrastructures up to the reduced level (R.L.) of 983.00 m i.e., 3 meters above Full Reservoir Level (F.R.L.) of 980.00 m shall be displaced.

7. Rehabilitation and resettlement benefits for the affected families

As per the decisions reached in the meeting of the Coordination Committee held under the chairmanship of Commissioner, Garhwal on 05.11.2020 and on 08.09.2022 under Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand.:-

7.1. Fully Affected-

Such affected account holders whose 50 per cent or more than 50 per cent of the land be affected by the project / will be acquired for the project, will come under the category of fully affected.

7.2. Partially Affected-

Such affected account holders whose less than 50% of the land be affected by the project / will be acquired for the project, will come in the category of partially affected.

7.3. Compensation for land acquisition-

(i) Half (0.5) acre developed agricultural plot and 200 square meters of developed residential plot will be allotted to the fully affected family. If any, such family opts not to take the land, then the fully affected shall get cash compensation for the acquired land as per Act.

Such wholly affected landowners with more than half (0.5) acre land being acquired for the project, such land owners will be given compensation for the acquired land over the limit of half (0.5) acre as per point no. 7.3 (ii)(a) as per this Policy.

Such fully affected landowners with land being acquired under the limit of half (0.5) acre, will also be allotted half (0.5) acre of land and no additional fee will be charged to them. If any, such family opts not to take the land, then the fully affected shall get cash compensation for the 0.5 acre land as per RFCTLARR Act 2013.

(ii) Compensation for partially affected families shall be given as per below-

(a) According to the provisions of the Act, the cost of land acquired from any person for payment of compensation shall be

determined based on rates decided by the District Magistrate. The land rates shall be calculated from the market value or circle rate whichever is higher. According to the norms of sub section (1) of section 26 of the Act, the multiplying factor of two (2.00) will be applicable on the market value of the land and the assets attached to the land in the rural areas. The final award of the land will be equal to the product of multiplying the market value by factor two (2.00) and the sum of 100% of the market value as Solatium.

land compensation rate

(a) Rate of the land = Market value
(b) Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas = 2
(c) Solatium (*Toshan*)- equal to 100% of the market value of the land mentioned against serial number (a), multiplied by the factor specified against serial number (b) for rural areas
= market price x 02

Therefore, the rate of land compensation

= (a x b) + c
= Market value x 04

(b) In the case of being a minor account holder, in columns 2 and 7 to 12 of *Khatauni*, the amount of compensation for the land of minor account holders will be given to the minor account holder in the form of FD, which he/she will be entitled to receive when he/she becomes an adult.

(c) 10% of the amount of land compensation shall be payable after obtaining possession of the land.

(iii) The non-titleholder family residing in the submergence area and physically displaced or adult of either gender belonging to fully affected families and defined as separate affected family as per Act shall be entitled to-

- A constructed house on a 50 sqm plot area conforming to Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) specifications, *or* if plot and/or house is not opted by any affected family, equivalent cash compensation shall be payable. Available current price index/ updated circle rates shall apply during the time of payment of compensation.
- Registration charges/stamp duty will be payable by the project.
- The land for house allotted to the affected family shall be free from all encumbrances.

7.4. Stamp Duty and Registration Fee

(As per point no.11 of the Second Schedule to the Act)

i. The stamp duty and other fees payable for the registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the requiring body.

ii. The land for the house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances.
iii. The land or house allotted may be in the joint names of both, the wife and the husband of the affected family.

7.5. Reimbursement for house structures (accommodation, shops and animal shed etc.)

(As per points no. 4 and 5 of the First Schedule of the Act)

The amount of reimbursement for the house structures (housing, shops and animal shed etc.) to be acquired will be determined based on the rates of the Public Works Department at the time of acquisition and 100% of this value will be given in the form of a solatium amount.

7.6. Reimbursement for the Trees

(As per points no. 4 and 5 of the First Schedule of the Act)

Reimbursement for trees to the eligible landowner families will be gven as per the guiding principles prescribed by the State Government, in accordance with the assessment carried out by the State Authorities/ Horticulture Department/ Forest Department. 100% Solatium amount on above assessed amount shall be provided.

7.7. Option for annuity or employment

(As per point no. 4 of the Second Schedule of the Act)

One-time payment of Rs. 5 lacs will be payable per affected family.

7.8. Subsistence grant for the displaced families for 1 year

(As per point no. 5 of the second schedule of the Act)

Every affected family who has been displaced from the acquired land shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for one year from the date of the award.

In addition to this amount, people belonging to the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes displaced from the Scheduled Areas will get an amount equivalent to 50 thousand rupees.

7.9. Transport Expenses for Displaced Families

(As per point no. 6 of the Second Schedule of the Act)

One-time financial assistance of Rs 50,000 will be given to each affected family who has been displaced, as transportation expenses for taking the family, building materials, household materials and animals to another place.

7.10. Animal Farm / Small Shop Expenditure

(As per point no. 7 of the Second Schedule of the Act)

Every affected family having cattle or a small shop shall receive financial assistance of such amount for the construction of an animal shelter or small shop, as the case may be, for such amount as may be specified subject to a minimum limit of Rs.25,000.

7.11. One-time grant to artisans, small traders and certain others

(As per point no. 8 of the Second Schedule of the Act)

Every affected family of an artisan, small trader or self-employed person or such affected family-owned by non-agricultural land or commercial, industrial or institution structure in the affected area and who has been involuntarily displaced from the affected area because of the land, such amount One-time

financial assistance of Rs.25,000/-, which will be specified subject to a minimum ceiling of Rs.25 thousand. Apart from this, such small shopkeepers whose shop is built on non-government/government land will be given additional incentive allowance as decided by the coordination committee.

7.12. One Time Resettlement Allowance

(As per point no.10 of the Second Schedule of the Act)

Each affected family will be given a one-time 'Resettlement Allowance' of Rs.50,000/- only.

7.13. Compensation to benap land holder/encroachers or structures built on government land-

(i) Encroachers on Benaap Bhumi shall be identified from the date prior to 03 years before the date of notification (As per the definition of affected family laid out in section 3(c) of the Act).

(ii) Benaap Bhumi holder/Encroachers or title holder affected family losing residential/ commercial and other structures shall be compensated for infrastructures equivalent to amount calculated as per Public Works Department (PWD) plinth area rates.

(iii) Right to salvage materials from the lost structures and other assests.

7.14. Other Benefits-

As far as possible, the villagers of the project affected area will be given priority in the commercial activities to be conducted after the construction of the project.

8. Special provisions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes-

1. As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.
2. Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort.
3. In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous District Councils, at the appropriate level in Scheduled Areas under the Fifth Schedule to the Constitution, as the case may be, shall be obtained, in all cases of land acquisition in such areas, including acquisition in case of urgency, before issue of a notification under this Act, or any other Central Act or a State Act for the time being in force:

   Provided that the consent of the Panchayats or the Autonomous Districts Councils shall be obtained in cases where the Gram Sabha does not exist or has not been constituted.
4. In case of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families, a Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the details of procedure for settling land rights due, but not settled and restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition.

5. The Development Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.
6. In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families initially as first instalment and the rest shall be paid after taking over of the possession of the land.
7. The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land, to such extent as may be decided by the appropriate Government free of cost for community and social gatherings.
8. Any alienation of tribal lands or lands belonging to members of the Scheduled Castes in disregard of the laws and regulations for the time being in force shall be treated as null and void, and in the case of acquisition of such lands, the rehabilitation and resettlement benefits shall be made available to the original tribal land owners or land owners belonging to the Scheduled Castes.
9. The affected Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and the Scheduled Castes having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects.
10. Where the affected families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are relocated outside of the district, then, they shall be paid an additional twenty-five per cent. rehabilitation and resettlement benefits to which they are entitled in monetary terms along with a onetime entitlement of fifty thousand rupees.

9. Reservation and Other Benefits

1. All benefits, including the reservation benefits available to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the affected areas, shall continue in the resettlement area.

2. Whenever the affected families belonging to the Scheduled Tribes who are residing in the Scheduled Areas referred to in the Fifth Scheduled or the tribal areas referred to in the Sixth Scheduled to the Constitution of India are relocated outside those areas, then, all the statutory safeguards, entitlements and benefits being enjoyed by them under this Act shall be extended to the area to which they are resettled regardless of whether the resettlement area is a Scheduled Area referred to in the said fifth schedule or a tribal area referred to in the said sixth schedule, or not.

3. Where the community rights have been settled under the provisions of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(2 of 2007) the same shall be quantified in monetary amount and be paid to the individual concerned who has been displaced due to the acquisition of land in proportion with his share in such community rights.

10. Coordination Committee

For the implementation and rehabilitation involved in the project, a coordination committee has been constituted vide Uttarakhand Government mandate number 1942(1)/II(2)/2020-04(11)/2010, dated October 23, 2020. The purpose of the committee is to take cognizance of the grievances of the affected villagers and apprise

the government of the same, so that the government may decide on the grievances after due consideration.

11. Decision Powers of High Power Committee

After the implementation of this policy, it shall be under the authority of High Power Committee (H.P.C.) constituted by government for Song Dam Drinking Water Project, to redress problems related to functioning of this policy or decide on matters regarding affected families which are not covered under this policy.

By Order,

HARI CHANDRA SEMWAL,
Secretary.

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

15 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1201 / XX-1–2022–3(12) 2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री
1	ऋषिबल्लभ चमोला
2	संजय सिंह गर्ब्याल
3	भाष्कर लाल शाह

2– उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अधीन रहेगी:–

1) उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 मे प्रावधान है।

2) उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालांतर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

3) पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

4) उक्तवत् पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड में योजित निर्देश याचिका संख्याः 25/डीबी/2020 श्री संदीप नेगी, निर्देश याचिका संख्याः 45/डीबी/2021 श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, संख्याः 42/एनबी/ डीबी/2021 श्री राकेश मेहरा, निर्देश याचिका संख्याः 66/एनबी/डीबी/2021 श्री मनीष जसवाल, निर्देश याचिका संख्याः 163/एसबी/डीबी/2022 श्री चंचल शर्मा बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 1393(एस0बी0)/2020 नदीम अतहर बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

विजय कुमार,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/726–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 03, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November / December 02, 2022

No. 359/XIV-a/37/Admin.A/2009--Shri Sandip Kumar Tiwari, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Dehradun is hereby sanctioned Paternity leave for 15 days *w.e.f.* 31.10.2022 to 14.11.2022.

NOTIFICATION

November / December 02, 2022

No. 360/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Medical leave for 87 days *w.e.f.* 25.07.2022 to 19.10.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 02, 2022

No. 361/UHC/Admin.A/2022--In supersession of Notification No. 356/UHC/Admin.A/2022 dated 24.11.2022, Shri Dhananjay Chaturvedi, Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand is repatriated from his present posting with immediate effect and attached to the High Court at Nainital.

Sri Dhananjay Chaturvedi is directed to leave the charge of his present posting, and to report to the High Court at Nainital immediately.

The nomination of Sri Narender Dutt, District & Sessions Judge, Chamoli for the post of Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand stands withdrawn.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 08, 2022

No. 1434/III-A-07/2022/SLSA--Ms. Shama Parveen, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned medical leave for a period of **23 days *w.e.f.* 12.11.2022 to 04.12.2022.**

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY,

Member Secretary,

Uttarakhand State Legal Services

Authority, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/726–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई0 (पौष 03, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र वाजिद अली व उसका परिवार मेरे कहनें सुननें में नहीं होने के कारण मैं और मेरा परिवार उससे पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद करते हैं एवं अपनी चल अचल सम्पत्ति से भी बेदखल करते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार के कृत्य, लेन–देन आदि के वें स्वयं जिम्मेदार होंगे।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

मौहम्मद हनीफ पुत्र इब्राहिम
निवासी सुल्तानपुर आदमपुर, लक्सर,
जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत, पुरोला (उत्तरकाशी)

नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी–प्रस्तावित उपविधि

31 मई, 2022 ई0

पत्रांक 162/न0प0पु0/2022–23–नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत पुरोला द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत पुरोला के अधिवेशन दिनांक 12.08.19 में प्रस्ताव सं0 01 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ती एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ। जिसे जन सामान्य के अवलोकन हेतु प्रकाशित कराया जा रहा है जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव को उक्त उप नियम के अखबार में प्रकाशन के 15 दिन के भीतर नगर पंचायत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है, निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई भी विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अध्याय-187

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप-नियम - नगर पंचायत पुरोला,उत्तरकाशी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत पुरोला,उत्तरकाशी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजट नोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पंचायत पुरोला,उत्तरकाशी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगर पंचायत पुरोला की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उघान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड नगर पंचायत पुरोला द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत पुरोला अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना हैं।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) "कूडा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) 'अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) " निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) " संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंचायत /एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए;

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ,सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत पुरोला के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कॅचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(i) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक

आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत

अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियो/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय-4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

s हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए

ऽ नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

ऽ कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयकं संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे

रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइक्लिंग यूनिटों यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः-

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(xvx) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :-

(i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए

गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्व ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा मेयर/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त,अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त,उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरिक्षक,कर निरिक्षक,सब इन्स्पैक्टर, चौकी,थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(i) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-

(क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :-

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन

प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत के दायित्व :

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने

में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइक्लिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : अध्यक्ष, उपअध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह

यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रु 10.00, पक्का मकान रु 20.00
2.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु 30.00
3.	सब्जि एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु 10.00 प्रतिदिन,दुकान एवं फड पर रु 20.00 प्रतिदिन
4.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 300.00, मध्यम रु 800.00 तथा बडे रु 2000.00

5.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	रु 1000.00
6.	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन-चेरिटेबिल)	रु 1000.00 प्रति उत्सव
7.	बेकरी	रु 100.00
8.	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रु 1000.00
9.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु100.00, पैथोलोजी रु 500.00
10.	दुकान/चाय की दुकान	रु 50.00,
11.	वर्कशॉप	रु 300.00
12.	कबाडी	रु 200.00
13.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन
14.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 1000.00 होटलों में, विवाह रु 5000.00 प्रति उत्साह
15.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक
16.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 10.00 से रु 100.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंम भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों	आवासीय	200
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल फेस्टिवल हाल पार्टी लान प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000

		के अनुसार सौपने में विफल रहना		
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों सिनेमाघरों पब्स सामुदायिक हॉल मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिसमीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना.	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1.सडक/गली में कूडा फैकना थूकना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2 नहाना पैशाब करनाए जानवरो को चारा खिलाना कपडे धोना वाहन धोना गोबर नाली में बहाना		500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों अधिक की भागीदारी	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा	10,000

		के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	आयोजित की हो	
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडका,े गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	1,00,000

		अथवा विपणन		
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत पुरोला।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पुरोला।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 हिन्दी गजट/726–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।